

112 वकील अध्यापक (उपस्थित) वादी ने जीए वकील
उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का निवेदन किया
है कि वह अपने दावा को छोड़ने नहीं चाहता।
स्वेच्छा से दावा हाजिर को वापिस लेना स्वीकार नहीं करता।
अनुरोध किया है प्रार्थना पत्र पर वकील प्रतिवादी ने No
objection किया है।

वादी अपने दावा को चलाता नहीं चाहता। अतः
विद्वे किपे और पर दावा वादी इसी stage पर खड़ा
किया जाता है पत्रावली फाइल शुरू होना बाद तकमील
दा.द. हा) 

